प्रतिनिधितित्व से विमर्शीकरण तक: विमर्शी प्रजातंत्र का एक संकल्पनात्मक विश्लेषण

[1]डॉ. इस्लाम अली
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग,
ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (इवनिंग), दिल्ली विश्वविद्यालय

सारांश : प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र का मुख्य उद्देश्य प्रजातंत्र के पारंपरिक आदर्शवादी मॉडल पर फिर से विचार करना था। इस मॉडल में, यह मान लिया गया था कि हितों की बहुलता का प्रतिनिधित्व, सहमति या सर्वसम्मति से निर्धारित किया जा सकता है। प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र के विपरीत, विचार-विमर्श करने वाला विमर्शी मॉडल इस विचार को सामने रखता है कि प्रजातंत्र को विरोधी हितों के बीच संघर्ष की प्रक्रिया तक सीमित नहीं किया जा सकता है। विमर्शी प्रजातंत्र का एक प्रमुख उद्देश्य प्रजातंत्र को समझने के लिये एक नया विकल्प प्रदान करना है। विमर्शी प्रजातंत्र का उद्देश्य दार्शनिक तर्कसंगतता में सुधार करना है। इसका मुख्य फोकस आधुनिक प्रजातंत्र के साथ उदार मूल्यों का सामंजस्य स्थापित करना है। उदारवाद को पूरी तरह से त्यागने के बजाय, यह उदारवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच उनके नैतिक आयाम पर जोर देकर घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इसमें यह माना जाता है कि सहमति की स्थिति को एक विमर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जो तर्कसंगतता और वैधता दोनों की जांच करता है। इसका कार्य सार्वजनिक संप्रभुता के लोकतांत्रिक सिद्धांत का पुनर्निर्माण करना है, जिससे उदार प्रजातंत्र की कमियों को दूर किया जा सके । परन्तु विमर्शी प्रजातंत्र भी आलोचनाओं से परे नहीं है। समकालीन समय में इसके समक्ष विभिन्न चुनौतियां हैं । प्रस्तुत लेख में विमर्शी प्रजातंत्र का समकालीन सन्दर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

बीज-शब्द: विमर्शी प्रजातंत्र, विमर्शीकरण, उदारवाद, सहभागिता, प्रतिनिधितित्व

प्रस्तावना

समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में प्रजातंत्र की कुछ नई व्याख्याएं प्रस्तावित की गई हैं। प्रजातंत्र को लेकर आज (प्रक्रियात्मक) तथा डेलिबिरेटिव (विमर्शी) एंव रेडिकल तथा सहभागी प्रजातंत्र के बीच एक नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही उत्तर आधुनिकतावाद और नारीवाद दोनों ने प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण पक्ष की ओर इशारा किया और इसे और अधिक निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है । भारत जैसे विकासशील देशों में एक प्रक्रिया के रूप में तो प्रजातंत्र सफल रहा है, लेकिन व्यवहार में यह लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। इन देशों में जिस तरह से प्रजातंत्र का पालन किया जाता है, उसमें कई कमियां हैं। इन देशों के लिये एक कठिन चुनौती यह है कि प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को व्यवहार के स्तर पर लागू करना। बीसवीं शताब्दी में, प्रजातंत्र को कल्याणकारी राज्य के साथ जोड़ दिया गया, जिसने सभी वयस्कों को सरकार में अपनी बात रखने की अनुमति दी। इस प्रक्रिया को सभी नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार देकर पूरा किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। और उसके बाद विभिन्न राज्यों ने धीरे-धीरे प्रजातंत्र के अन्तर्गत, उन सभी ने अंततः सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया। बीसवीं शताब्दी में प्रजातंत्र की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की जाती रहीं - जिनमें जनवादी प्रजातंत्र , सहभागी प्रजातंत्र , निर्देशित प्रजातंत्र , विमर्शी प्रजातंत्र , प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र , रेडिकल प्रजातंत्र प्रमुख हैं। ये सभी व्याख्याएँ प्रजातंत्र का परीक्षण यह देखकर करती हैं कि इसको व्यावहारिक कैसे बनाया जाए । राजनीतिक वैज्ञानिक 21वीं सदी में प्रजातंत्र को कारगर बनाने के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं, और वे ऐसे सिद्धांत भी प्रस्तावित कर रहे हैं जो इसे और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकते हैं।

विमर्शी प्रजातंत्र का विचार सबसे पहले जोसेफ एम. बेसिटटी की पुस्तक 'डेलीबिरेटिव डेमोक्रेसी: द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेण्ट' (1980) में पेश किया गया था। जिसे उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक 'द मिल्ड वोइस ऑफ रीजन' (1994) में वर्णित तथा समर्थन प्रदान किया। अन्य विचारकों ने भी विमर्शी प्रजातंत्र की अवधारणा में योगदान दिया है, जिनमें जॉन रॉल्स, हैबरमास, डेविड हैल्ड, जोशुआ कोहेन, जेम्स फिशकिन, हेनिस थॉमसन, ऐमी गुटमेन तथा जॉन ड्राइजेक शामिल हैं।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार प्रजातंत्र के विमर्शी मॉडल की अवधारणा को "राजनीतिक निर्णयों की किसी व्यवस्था, जो स्वस्थ नीति-निर्माण के लिये नागरिकों के विमर्श पर विश्वास करती हो", के रूप में प्रयोग करते हैं। जहाँ प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र चुनावी प्रक्रिया को प्रमुख सिद्धांत मानता है वहीं इसके विपरीत विमर्शी प्रजातंत्र का मानना है कि कानून बनाने का मुख्य तरीका नागरिकों के साथ परामर्श करना है। वैधानिक कानून निर्माण सिर्फ नागरिकों के विचार-विमर्श के द्वारा ही बेहतर ढंग से हो सकता है। जानकी श्रीनिवासन के अनुसार, "विमर्श निर्णय-निर्माण का एक उपागम हैं, जिसमें नागरिक विभिन्न दृष्टिकोण से प्रासांगिक तत्वों पर विचार करते हैं, एक-दूसरे के विचारों को तर्क-वितर्क करके अपने दृष्टिकोण, मत और समझ में वृद्धि करते हैं। जिससे बेहतर नीतियां बनाने तथा निर्णयों को लागू करने में सहायता मिलती है" (जानकी श्रीनिवासन, 2011, 126)। विमर्शी प्रजातंत्र सभी वर्गों, जातियों, क्षेत्रों, एवं आयु के लोगों की सहभागिता को शासन में शामिल करके नागरिकों को सक्षम बनाता है। लोक विमर्श से सार्वजनिक नीतियों में सुधार, सार्वजनिक शिक्षा, और जनता की आम सहमति को बढ़ावा तथा विरोधों का निम्न होना, आदि फायदे मिल जाते हैं। विमर्शी प्रजातंत्र को अक्सर वामपंथी राजनीति से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि वामपंथी मानते हैं कि निर्णय लेने वाले समूह का शोषण नागरिक सहभागिता में हितों के बीच संघर्ष के कारण होता है। इसलिए, अशिक्षित और हाशिए के लोग अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं। उनकी मांग है कि लोक विमर्श में उनकी सहभागिता भी हो ।वे प्रक्रिया से अधिक परिणामों के बारे में चिंतित हैं। इसके अलावा अन्य विचारक विमर्शी प्रजातंत्र के द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोण वाले लोगों को शामिल करने का समर्थन करते हैं।

विमर्शी प्रजातंत्र: संकल्पनात्मक विश्लेषण

1990 के दशक के बाद से, विमर्शी प्रजातंत्र का विचार काफी चर्चित हो चुका है। मुख्यतः यह सिद्धांत सिद्धांत लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। आरंभ से ही इस सिद्धांत ने नीति-निर्माण में नागरिकों की भागीदारी और राजनीतिक बहस में उनकी भूमिका को प्राथमिकता दी है। इसी विचार को आगे बढ़ाने का काम हैबरमास, रॉल्स, कोहेन ने किया। इन विचारकों ने निष्पक्ष और समावेशी समाज के लिए विचार-विमर्श के महत्व पर बल दिया है। कोहेन ने सार्वजनिक तर्क को सामान्य हित की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक माना, हैबरमास ने एक गैर-तनावपूर्ण संचार क्षेत्र की उपस्थिति पर जोर दिया, और रॉल्स ने सहभागियों के बीच विमर्शी प्रक्रिया की निष्पक्षता और आपसी सम्मान पर जोर दिया। रॉल्स और हैबरमास दोनों ने प्रजातंत्र और उदारवाद के बीच विवेकपूर्ण प्रजातंत्र के लक्ष्य को साझा किया। रॉल्स ने स्वीकार किया कि उनकी इच्छा लोकतांत्रिक उदारवाद का विस्तार करना था जिसमें स्वतंत्रता और समानता दोनों साझा थे। रॉल्स उन असहमतियों का समाधान ढूंढना चाहते हैं, जो पिछली शताब्दियों में लोकतांत्रिक विचारों में स्थापित हुई हैं। उदाहरण के लिये जॉन लॉक की परंपरा, जो यह मानती है कि प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित है, या रूसो की परंपरा, जो प्रजातंत्र को समान राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन के सार के रूप में देखती है (रॉल्स, 1971, 10-15)। हैबरमास ने अपनी रचना 'बिटवीन फैक्टस एण्ड नोर्मस' में उल्लेखित किया है कि," उनके लोकतांत्रिक सिद्धांत का एक उद्देश्य मौलिक व्यक्तिगत अधिकार और लौकिक सम्प्रभुता की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है" (हैबरमास, 1996, 122)। इसी तरह, कोहेन का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समतावाद और उदारवाद जैसे मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इन मूल्यों को प्रक्रिया से अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे इसके महत्वपूर्ण भाग हैं।

रॉल्स और हैबरमास दोनों का मानना है कि व्यवहारिक तर्कसंगतता का आदर्श उदार प्रजातंत्र की संस्थाओं में ढूँढा जा सकता है। किंतु लोकतांत्रिक संस्थाओं में व्यवहारिक तार्किकता के विवेचन में दोनों असहमत हैं। रॉल्स न्याय के सिद्धांत की भूमिका पर जोर देते हैं, जिससे व्यक्ति "बुनियादी स्थिति" में अपने स्वयं के हितों और जरूरतों से अनभिज्ञ हो जाते हैं। न्याय की उनकी अवधारणा उदारवाद के सिद्धांतों को निर्धारित करती है, जो सार्वजनिक बहस और स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देती है। (रॉल्स,1971,198) दूसरी तरफ, हैबरमास ने उन विषयों की सीमा पर कोई सीमा नहीं रखी जिन्हें प्रक्रियात्मक अवधारणा का उपयोग करके संबोधित किया जा सकता था। बेनहबीब के अनुसार, इस प्रकार के विमर्श की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं," (क) इस तरह का विमर्श समरूपता और समानता के मानकों द्वारा नियमित होता है तथा सभी के पास बोलने, प्रश्न करने बहस करने का बराबर अवसर होता है। (ख) सभी के पास बहस के विषय पर प्रश्न करने का अधिकार होता है। (ग) सभी के पास बहस की प्रक्रिया के नियमों, जिनमें इसे लागू करना है, पर तर्क प्रारंभ करने का अधिकार होता है। इस प्रकार से जहाँ रॉल्स के लिये मुख्य मुद्दा न्याय है, वहीं हैबरमास के लिये वैधता है" (बेनहबीब, 1996, 120-36)। रॉल्स के अनुसार, एक सुव्यवस्थित समाज एक ऐसा समाज है जो न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है और जिसे अपने नागरिकों की संस्थाओं द्वारा समर्थित किया जाता है (रॉल्स, 1971, 232)। हैबरमास के लिए, एक स्थिर और कार्यात्मक प्रजातंत्र के लिए एक राजनीतिक समुदाय के निर्माण की आवश्यकता होती है जिसे उचित तर्क पर आधारित कहा जा सकता है। हैबरमास के लिए केंद्रीय मुद्दा यह सुनिश्चित करने का एक तरीका खोजना है कि प्रजातंत्र द्वारा सभी के सामान्य हितों की गारंटी दी जाए। उनका मानना है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, हमें एक ऐसी प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए जनता लोकतांत्रिक तरीके से भाग ले सके।

गुटमेन और थॉमसन 'डेमोक्रेसी एण्ड डिसएग्रीमेण्ट' में तर्क देते हैं कि "विमर्शी प्रजातंत्र वादी विश्वास करते हैं कि उनके लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से नागरिकों के बीच सहभागिता की समझ का विस्तार हुआ है, क्योंकि यह परस्पर कार्य के सिद्धांत का समावेश करता है। इसलिए ये कहना ठीक होगा, कि उन लोगों को विमर्श की प्रक्रिया में शामिल करना, जो हमसे सहमत हैं, उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुनकर, किसी समान न्यायपूर्ण समझौते पर पहुँचा जा सकता है। ये विमर्शी प्रजातंत्र के मॉडल को इस आधार पर समर्थन करते हैं कि इसमे तात्विक के साथ प्रक्रियात्मक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इन तात्विक सिद्धांतों में शामिल हैं - मूल स्वतंत्रता और उचित अवसर और ये सिद्धांत केवल व्यक्तियों की लोकतांत्रिक विमर्श में भागीदारी को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि परस्पर कार्य, परस्पर सम्मान और निष्पक्षता को भी बढ़ाते हैं" (गुटमेन एण्ड थाम्पसन, 1996, 199-229)।

जॉन ड्राइजेक विमर्शी प्रजातंत्र को उदारवादी संविधानवाद के साथ मिलाने की आलोचना करते है। प्रजातंत्र गतिशील और खुली व्यवस्था है, लेकिन उदार राज्य कानूनी बहस के लिए एक मंच प्रदान करके बदलती दुनिया की अनुभवजन्य वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है। ड्राइजेक ने विमर्शी प्रजातंत्र की आलोचनात्मक व्याख्या की जिसे उन्होंने विवादजनक प्रजातंत्र (Discursive Democracy) का नाम दिया है। ड्राइजेक विवादजनक प्रजातंत्र की निम्न विशेषता बताते हैं, "(क) यह बहुलवादी चरित्र रखता है। क्योंकि इसके अन्तर्गत भिन्नता को समाप्त किये बिना भिन्नताओं के संप्रेषण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। (ख) परंपराओं को स्थापित करने में प्रश्न-अभिमुख के रूप में यह सम्बंधित है। (ग) यह पार-राष्ट्रीय है - इस रूप में इसकी क्षमता उन राज्यों की सीमाओं के बाहर भी है जहाँ कोई संविधानिक ढांचा नहीं है। (घ) यह इस रूप में पारिस्थितिकीय है कि यह मानव प्रकृति के बाहर भी संप्रेषण के लिये खुली बहस करता है। (ड) यह गतिशील है। क्योंकि इसमें लोकतांत्रिकरण के अवसरों के लिये खुलापन दृष्टिगोचर होता है" (ड्राइजेक, 2000, 3) ।

विमर्शी प्रजातंत्र: बुनयादी आधार

विमर्शी प्रजातंत्र उन मूल्यों के महत्व पर जोर देता है जिन्हें प्रक्रियात्मक प्रतिनिधि प्रजातंत्र स्थापित करने में असमर्थ रहा है। प्रक्रियात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ व्यक्तिगत हितों के लिये कार्य करती हैं न कि सामुहिक हितों के आधार पर । यह चुनावी प्रतिस्पर्धा के द्वारा नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करता है, जो मानते हैं कि उनके प्रतिनिधियों को शासन करना चाहिए। इसमें अल्पसंख्यकों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। विमर्शी प्रजातंत्र इन समस्याओं को हल करने का एक अच्छा तरीका है। इसके प्रमुख बुनयादी आधार इस प्रकार हैं

(क) समावेशी प्रजातंत्र के रूप में विमर्शी प्रजातंत्र न केवल प्रत्येक नागरिक को मतदान का अवसर देता है, बल्कि सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी देता है। विमर्शी प्रजातंत्र दूसरों की बात सुनने और उन्हें अपने विचार खुलकर और सोच-समझकर साझा करने का अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। समावेशन के इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए; जब विमर्शी समूह निर्मित होकर स्वयं विमर्श करते हैं, उदाहरण के लिए, जब एक वार्ता समूह का गठन किया जाता है और स्वयं चर्चा करता है, तो युवा वकील समावेशीता प्राप्त करने के लिए बातचीत प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वे न केवल बहस करते हैं, बल्कि कहानियों, आदि के माध्यम से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। समावेशन निर्णयों को और अधिक वैध बनाता है। यदि चर्चा में सभी की राय सुनी जाती है तो निर्णय सर्वसम्मत होगा।

(ख) विमर्शी प्रजातंत्र तार्किक संवाद का आधार बनाता है। प्रक्रियात्मक अवस्था में विमर्शीकरण से अधिक संभावित गुण परिलक्षित होते हैं। तर्क के द्वारा लिये गये निर्णय नागरिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

(ग) विमर्शीकरण के सिद्धांतों के अनुसार,तर्क न केवल अपने लिये, बल्कि दूसरों के लिए भी विवेकपूर्ण बन जाता है। विमर्शीकरण सहभागियों की मांग करता है, ताकि ये अपने तर्कों को प्रस्तुत कर सकें, जो दूसरों को भी स्वीकार हों, अतः तर्क आपसी समझ और सहयोग पर आधारित है, व्यक्तिगत हितों पर नहीं। लेकिन यह केवल संवाद नहीं जिसे विमर्शी प्रजातंत्र वादी परिवर्तित करने का उद्देश्य रखते हों। जैसे-जैसे संवाद बदलता है, निर्णय, विकल्प और विश्वास भी निजी से सार्वजनिक हो जाते हैं। इसलिए, विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए कम से कम आपसी सम्मान की आवश्यकता होती है।

(घ) विमर्शीकरण आत्म-साक्षात्कार और व्यक्तिगत विकास का एक साधन भी हो सकता है। विचार-विमर्श प्रक्रिया में भागीदारी के माध्यम से, नागरिक पराधीन प्रजा से स्वतंत्र व्यक्तियों में बदल जाते हैं ।इस परिवर्तन से व्यक्तिगत स्वायत्तता के विकास में वृद्धि होती है।

(ड) विमर्शी प्रजातंत्र वादी निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए वास्तविक भागीदारी पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार के विमर्शीकरण के लिये सहभागियों के बीच तकनीकी व्यवहार के बजाये मुक्त तथा समान आधार पर किसी सहमति पर पहुंचना सरल हो जाता है।

(च) विमर्शी प्रजातंत्र वादियों का तर्क है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ी हुई भागीदारी एक सकारात्मक बदलाव है। विभिन्न विचार रखने वाले व्यक्तियों की बहुलता के साथ सार्वजनिक बहस की प्रक्रिया के द्वारा नई जानकारी प्राप्त करते हैं, विभिन्न अनुभवों से सीखते हैं, और यह पता लगाते हैं कि उनकी राय पक्षपाती या अतार्किक कैसे है। इसलिए, चर्चा स्वस्थ निर्णय लेने में मदद करती है (कोहेन, 1998, 193-94) ।

(छ) जोशुआ कोहेन ने तर्क दिया है कि विमर्शी प्रजातंत्र इस आधार पर उचित है कि प्रतिभागी स्वयं विचार-विमर्श के परिणाम से बंधे हैं, और वे किसी सत्ता पर निर्भर नहीं हैं। वे किसी भी पूर्व शर्त से भी मुक्त हैं। विमर्श के माध्यम से लिए गए निर्णय तर्कसंगत सोच पर आधारित होते हैं, जो नागरिकों की भागीदारी की अनुमति देते हैं । हर किसी के अपने विचार होते हैं, इसलिए यह उन पर निर्भर करता है कि वे अपनी बातों पर बहस करें। अपने तर्क प्रस्तुत करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। सभी प्रतिभागी/नागरिक समर्थन या आलोचना में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इस समाज में ऊंच-नीच का भेद नहीं है। प्रतिभागी शक्ति, संसाधनों या मानकों के किसी भी वितरण द्वारा सीमित नहीं हैं। विचार-विमर्श चरण का उद्देश्य सामूहिक निर्णय लेना है और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की एक ऐसी प्रणाली की तलाश करना है जो सभी के लिए स्वीकार्य हो, और जो परिवर्तन के लिए खुली हो (कोहेन, 1989, 17-34)।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

कोलिन फेरिली ने विभिन्न आधारों पर विमर्शी प्रजातंत्र के विचार की आलोचना की है,"(क) सिद्धांतकारों ने विमर्शी प्रजातंत्र के आदर्श पर भिन्न-भिन्न मत प्रस्तुत किये हैं, अतः विमर्शी प्रजातंत्र पर आम सहमति का आभाव है। (ख) क्योंकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अन्तर्गत विमर्शी मॉडल एक नया विचार है, अतः यह आलोचनात्मक सिद्धांतों के साहित्य में अपनी जगह नहीं बना पाया है। परंतु फिर भी विमर्शी प्रजातंत्र के मॉडल की कई आधारों पर समीक्षा के लिये प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे: विमर्शीकरण का प्रभाव हानिकारक हो सकता है। विमर्शी प्रजातंत्र का आदर्श कल्पनावादी है" (फेरिली, 2004, 150-52)।

विचार-विमर्श के प्रभाव हानिकारक हो सकते हैं। परामर्श में कितना समय लग सकता है इसका एक उदाहरण यह है कि जब किसी प्रस्ताव पर लोगों से परामर्श किया जाता है। जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई निर्णय नहीं होता है। ऐसे में अन्य मुद्दों पर चर्चा करने का समय नहीं मिलेगा। अतः सवाल उठना स्वभाविक है कि कितना विमर्शीकरण सही होगा। यदि निर्णय लेने से पहले सहमति की प्रतीक्षा करनी पड़े, तब तो दैनिक जीवन से संबंधित मुद्दों पर भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। इससे अक्षमता बढ़ेगी। दूसरी ओर, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे - विशेष रूप से विदेश नीति, सुरक्षा, आदि पर लोगों के बीच खुलकर चर्चा नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इससे सुरक्षा प्रणाली पर लोगों को सूचनाएँ देनी पड़ेंगीं, जो सिस्टम को खतरे में डाल सकती है । इसी तरह, सेना की गोपनीय आतंकवाद नीति के बारे में जानकारी प्रदान करना राष्ट्रीय सुरक्षा पर रोक लगाने जैसा होगा।

काल्पनिक आधार पर कहा जा सकता है कि क्या यह सोचना उचित है कि विचार-विमर्श और जनभागीदारी साथ-साथ चलनी चाहिए। यह देखते हुए कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन कितने बड़े हैं, नागरिकों का वास्तविक विमर्श की प्रक्रिया में भाग लेना असंभव सा लगता है। विमर्शी प्रजातंत्र वादी जन विमर्श को सीमित करने का आह्वान करते हैं। जॉन रॉल्स का मानना है कि सार्वजनिक तर्क का उपयोग केवल मौलिक राजनीतिक प्रश्नों जैसे कि किसी नीति की संवैधानिकता या न्याय के मुद्दे को संबोधित करने के लिए किया जाना चाहिए। रॉल्स ने कहा कि सार्वजनिक तर्क में लोगों की भागीदारी को न्यूनतम रखने के लिए, उन्हें दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है- एक, 'सार्वजनिक-राजनीतिक संगठन', दूसरा, 'पूर्व संस्कृति' या 'नागरिक समाज'। लोगों के पहले समूह में न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी और राजनीतिक पद के उम्मीदवार शामिल हैं। उन्हें सार्वजनिक निर्णय लेने में भाग लेना चाहिए। हालांकि, सार्वजनिक तर्क नागरिक समाज पर लागू नहीं होना चाहिए (फेरिली, 2000, 153)। चार्ल्स ब्लैटबर्ग ने चार आधारों पर विमर्शी प्रजातंत्र की आलोचना की है -

(क) विमर्शीकरण के नियम उत्तम व्यवहारिक तार्किकता के विपरीत बाधा अधिक डालते हैं। (ख विमर्शी प्रजातंत्र वैचारिक रूप से संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के उपर उदारवाद तथा गणतंत्रवाद को प्राथमिकता देने के पक्ष में है। (ग) विमर्शी प्रजातंत्र वादी एक तरफ प्रजातंत्र वादी न्यायसंगत और तर्कसंगत विमर्श के बीच अंतर करते हैं, दूसरी तरफ व्यक्तिगत हित तथा बलपूर्वक सौदेबाजी के बीच अंतर करते हैं। और (घ) विमर्शी प्रजातंत्र वादी लोगों को राज्य के साथ परस्पर विरोधी संबंध रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह नागरिकों के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है (ब्लैटबर्ग, 2003, 155-74)। चेन्टल माउफी के अनुसार, "विमर्शी प्रजातंत्र के समर्थक 'अनुन्मूलनीय का विरोधी पक्ष' (Ineradicability of antagonism) के आयाम की अनदेखी करते हैं, जो राजनीतिक जीवन का एक मौलिक तत्व है"(माउफी, 2000, 13-17)।

निष्कर्ष

प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र के तहत, नागरिकों की उन समस्याओं को हल करने में भाग लेने की क्षमता को पूरी तरह से वास्तविक नहीं बनाया जा सका, जिनका वे सामना करते हैं। केवल चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता के अलावा अन्य निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में नागरिक उसका हिस्सा नहीं थे। विमर्शी प्रजातंत्र , प्रजातंत्र का वह मॉडल है जिसमें नागरिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसे प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र की तुलना में अधिक संवादात्मक माना जाता है। इसका मानना है कि जब नागरिक नीति-निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, तो वे राजनीतिक इच्छाशक्ति की एक मजबूत भावना विकसित करते हैं और परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने की अधिक संभावना रखते हैं। यह जनता की राय को सार्वजनिक निर्णय लेने के साथ बदल देता है। यह नागरिकों को नीतिगत समस्याओं के समाधान में भाग लेकर नागरिकों की आम सहमति तक पहुँचने में मदद करता है। नागरिक जुड़ाव कार्यक्रम समुदाय को शिक्षित करता है, नागरिक संस्कृति को पुर्नस्थापित करता है, और

चुने हुए नेताओं को विवेकपूर्ण कार्य करने के योग्य बनाता है। यह नागरिकों के बीच लोकतांत्रिक संवाद स्थापित करके, पारंपरिक प्रतिनिधि प्रजातंत्र और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बीच एक बीच का रास्ता सुझाता है। लेकिन सामाजिक न्याय पर आधारित प्रजातंत्र में नागरिकों और उनके समूहों के बीच सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेदों को पाटना अभी भी विमर्शी प्रजातंत्र के लिये एक चुनौती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रॉल्स, जॉन (1971). *ए थ्योरी ऑफ जस्टिस.* यू. एस. ए., हारवर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस.
2. शुम्पीटर, जोसेफ (1976). *कैपिटेलिज्म, सोशलिज्म एण्ड डेमोक्रेसी.* एलेन एण्ड उनविन.
3. बेसिटटी, जोसेफ एम. (1980). *डेलीबिरेटिव डेमोक्रेसी: द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेण्ट.* वाशिंगटन डी. सी., ए. इ. आई. प्रेस.
4. सरटोरी, जी. (1985). *डेमोक्रेटिक थ्योरी.* कलकत्ता, ऑक्सफोर्ड एण्ड आई. बी.एच., कलकत्ता.
5. डाहल, रॉबर्ट, (1989). *डेमोक्रेसी एण्ड इटस क्रिटिक्स.* न्यू हेवन, येल युनिवर्सिटी.
6. कोहेन, जोशुआ (1989). ''डेलिबिरेटिव डेमोक्रेसी एण्ड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी'', इन हेमलिन ए. एण्ड पेटिट पी., *दि गुड पोलिटी.* लन्दन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस.
7. हनटिंगटन, सेमुअल पी. (1991). *दि थर्ड वेवः डेमोक्रेटाईजेशन इन दि लेट ट्वेन्टीएथ सेन्चुरी.* यू. एस. ए., यूनिवर्सिटी ऑफ ओकलाहोमा प्रैस.
8. हेबरमास, जुर्गेन (1991). *बिटवीन फैक्टस एण्ड नोर्मसः कन्ट्रीब्यूशन टू ए डिस्कोर्स थ्योरी ऑफ लॉ एण्ड डेमोक्रेसी.* कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी प्रैस.
9. बेसिटटी, जोसेफ एम. (1994). *द मिल्ड वोइस ऑफ रीजनः डेलीबेरेटिव डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन नेशनल गवर्नमेंट,* (1994). शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो प्रेस.
10. बेनहबीब, सायला (संपादित), (1996). *डेमोक्रेसी एण्ड डिफरेन्सः कन्टेसटिंग दि बाउन्ड्रीज ऑफ दि पोलिटिकल.* प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रैस.
11. कोहेन, जोशुआ, ''डेमोक्रेसी एण्ड लिर्बटी'' (1998). इन ऐल्सटर, जे. (संपादित), *डेलिबिरेटिव डेमोक्रेसी.* कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस.
12. चान्टाल, माउफे (2000). *डेलिबिरेटिव डेमोक्रेसी ओर एन्टागोनिस्टिक प्लूरलिज्म.* वियेना.
13. ड्राईजेक, जॉन एस. (2000). ड्राईजेक, *डेलिबिरेटिव डेमोक्रेसी एण्ड बियोन्डः लिबरल्स क्रिटिक्स कन्टेसटेशन्स.* न्यूयार्क, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस.
14. फोक्स, ग्रेगरी एच. एण्ड रोथ, ब्रेड आर., (2001). ''डेमोक्रेसी एण्ड इन्टरनेशनल लॉ'', *रिव्यू ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज़,* नम्बर 27.
15. क्लार्क, पॉल बेरी एण्ड फोवरेकर, जे. (संपादित) (2001). *इनसाइक्लोपीडिया ऑफ डेमोक्रेटिक थॉट.* न्यूयार्क, रूतलेज.
16. शुम्पीटर, जोसफ ए. (2003). (ई-बुक), *कैपिटेलिज्म, सोशलिज्म एण्ड डेमोक्रेसी.* लन्दन एण्ड न्यूयार्क, रूतलेज.
17. ओवेन, डी. (2003). ''लोकतंत्र'' इन बेलामी, आर. एण्ड मेज़न, ए. (संपादित), *पोलिटिकल कान्सेप्टस.* मेन्चेस्टर यूनिवर्सिटी प्रैस.
18. ब्लैटबर्ग, चार्ल्स (2003). ''पैट्रीओटिक, नोट डेलिबिरेटिव डेमोक्रेसी,'' *क्रिटिकल रिव्यू ऑफ इण्टरनेशनल सोशल एण्ड पोलिटिकल फिलोसफी,* वोल्यूम 6, नम्बर, 1.
19. गुटमेन ऐमी एण्ड थाम्पॅसन, डेनिस (2004). *व्हाई डेलिबिरिटिव डेमोक्रेसी.* प्रिंसटन, प्रिसंटन यूनिवर्सिटी प्रैस.
20. लिप्सेट, मार्टिन एण्ड लाकिन, जेसन एम. (2004). *दि डेमोक्रेटिक सेन्चुरी.* यू. एस. ए., यूनिवर्सिटी ऑफ ओकलाहोमा प्रैस.
21. कोलिन, फेरिली (2004). *एन इण्ट्रोडक्शन टू कन्टेपरेरी पोलिटिकल थ्योरी.* लन्दन, सेज.
22. फर्गुसन, एन. एण्ड मैकथिल्ड (संपादित) (2009). *दि फिलोसफी ऑफ आइरिस मेरियन यंग.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस.
23. मोहन्ती, बिस्वरंजन (2010). *डाइनेमिक्स ऑफ पोलिटिकल थ्योरीः दि करेन्ट एनेलिसिस.* दिल्ली, अटलांटिक पब्लिशर्स.
24. श्रीनिवासन, जानकी (2010). ''लोकतंत्र'' इन भार्गव, राजीव एण्ड आचार्य, अशोक (संपादित) (2011). *राजनीति सिद्धांतः एक परिचय.* दिल्ली, पीयरसन.
25. बेसिटटी, जोसेफ एम. (1980). *डेलीबिरेटिव डेमोक्रेसी: द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेण्ट.* वाशिंगटन डी. सी., ए. इ. आई. प्रेस.
26. बेसिटटी, जोसेफ एम. (1994). *द मिल्ड वोइस ऑफ रीजनः डेलीबेरेटिव डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन नेशनल गवर्नमेंट,* (1994). शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो प्रेस.